मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र का चुनावी दौरा किया

आतंकी समर्थकों के मंसूबे से महाराष्ट्र को बचाना जरूरी-भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थानी समाज के सम्मेलन में भाग लिया और प्रवासी राजस्थानियों से भाजपा को जिताने की अपील की।

- **मुख्यमंत्री ने सोलापुर में राजस्थानी समाज सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाग ले रहे प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित किया।**
- **उन्होंने कहा, प्रवासी राजस्थानी कर्मभूमि से जन्मभूमि तक जुड़े रहते हैं। राष्ट्र निर्माण में मारवाड़ियों का अहम योगदान है।**

सोलापुर, 7 नवंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तहत सोलापुर उत्तर से भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार देशमुख के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सोलापुर में राजस्थानी समाज सम्मेलन में बड़ी संख्या में आये प्रवासी राजस्थानियों से भाजपा प्रत्याशी को समर्थन व वोट देकर विधानसभा चुनाव में विजयी बनाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद आये परिवर्तन को सभी ने देखा है। गरीब कल्याण की योजनाएं, सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा और दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव इसका प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी कर्मभूमि से जन्मभूमि तक जुड़े रहते हैं। देश व विदेश में अपनी कड़ी मेहनत से मारवाड़ियों ने विशेष स्थान बनाया है। मारवाड़ी देश की संस्कृति, विचार और निर्माण से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र निर्माण में मारवाड़ियों का अहम् योगदान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जाति और पंथ के नाम पर वोट मांगा है। हमेशा विभाजन करने का काम किया है। ये लोग बालासाहब की विरासत का उपहास करने वाले हैं। महाविनाश ठगबंधन शिवाजी महाराज की इस पवित्र धरा के निवासियों का प्रतिनिधि बनने लायक नहीं है।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाविनाश ठगबंधन के लोग राष्ट्र हित के सभी मुद्दों का विरोध करते हैं। इन्होंने धारा 370 एवं सी.ए.ए. का विरोध किया और बुलाने पर भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा सम्मेलन में नहीं आए। आतंकी समर्थकों के इन खतरनाक मंसूबों से महाराष्ट्र को बचाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार बने 10 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए ई.आर.सी.पी. और यमुना जल समझौता किया है। बिजली के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। प्रदेश में कनेक्टविटी बेहतर बनाने के लिए 9 ग्रीनफील्ड हाइवे बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कृष्ण गमनपथ बनाया जा रहा है, खाटूश्याम मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपये दिये गए हैं। सम्मेलन में वरिष्ठ नेता किशोर देशपाण्ड़े, बाबू भाई मेहता, श्रीनिवास दायमा, चन्द्रकांत तापड़िया सहित बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

डैमोक्रेटिक पार्टी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मीडिया के प्रति अविश्वास को और बढ़ाना था और अधिकांश मतदाता पहले से ही मुख्यधारा के मीडिया को संदेह की नज़र से देखते हैं। इन संस्थानों को अपने प्रति पक्षपाती बता कर उन्होंने एक अपने समर्थकों मीडिया पर संदेह करने के लिए तथा खुद (ट्रम्प) को "सच बोलने वाले नेता" के रूप में देखने को प्रोत्साहित किया, अब भले ही वह सच तथ्यों पर खरा ना हो।

कुछ क्षेत्रों में तो डैमोक्रेटिक पार्टी का प्रचार करने वालों की आलोचना की गई कि वे अपराध, सीमा सुरक्षा व इम्मिग्रेशन पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ट्रम्प ने लगातार ये मुद्दे उठाए और अपराध पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही। आर्थिक समानता को बेहतर बनाने वाली नीतियों को प्रोत्साहन देने के बाद भी डैमोक्रेटिक पार्टी को यह समझाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी कि इन नीतियों से मतदाता के जीवन स्तर में किस प्रकार सुधार आएगा।

ट्रम्प का आर्थिक नीति पर मैसेज रोजगार में वृद्धि और टैक्स में कटौती का था जिसका मतदाता पर तुरंत असर हुआ, भले ही इसके नतीजे जटिल क्यों ना हों।

राजस्थान की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिला स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरण से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त खनन लाइसेंस धारकों को 7 नवंबर तक राज्य पर्यावरणीय प्राधिकरण से भी पर्यावरणीय मंजूरी के पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता बताई गई है।

अपील में कहा कि राज्य सरकार को एम.ओ.ई.एफ. की ओर से दिए गए पुनः परीक्षण के विस्तार व निर्देशों की पालना के लिए 12 महीने के समय की जरूरत है। ऐसे में राज्य की खानों के तत्काल बंद होने से केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि लाखों लोगों की नौकरियां भी प्रभावित होंगी। खानें बंद होने से न प्रदेश में निर्माण गतिविधियां रुकेंगी और निर्माण सामग्री की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए एनजीटी के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए।

आर्टिकल 370 पर विधानसभा में विधायकों के बीच मारपीट

शेख खुर्शीद द्वारा आर्टिकल 370 का बैनर दिखाने से भाजपा विधायक भड़के

- **भाजपा नेता रविन्द्र रैना ने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेन्स सरकार देशद्रोही एजेण्डे पर काम कर रही है। चोरी छिपे विवादास्पद प्रस्ताव पेश कर, बिना चर्चा पास कराना इस एजेण्डे का भाग है।**

श्रीनगर, 07 नवंबर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान गुरुवार को भी आर्टिकल 370 को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विधायकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान पोस्टर भी फाड़े गए। भारी बवाल के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है।

बताया जा रहा है कि विधायक इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया, जिसमें इसकी बहाली की मांग की गई थी। बैनर दिखाए जाने का विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया। इस पोस्टर को देखकर बीजेपी के विधायक भड़क गए। उन्होंने उनके हाथ से बैनर छीन लिया। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। बीजेपी विधायकों ने शेख खुर्शीद के हाथ से बैनर लेकर फाड़ दिया।

बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है, सरकार बनाते ही उन्होंने देशद्रोही एजेंडे पर काम करना शुरू किया है। दोनों पार्टियों ने जिस प्रकार विवादास्पद प्रस्ताव को चोरी-छिपे विधानसभा में पेश किया और तुरंत बिना किसी चर्चा के पास करके विधानसभा की कार्यवाही समाप्त कर दी। ये दिखाता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू-कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश कर रही है। भाजपा किसी सूरत में देशद्रोही एजेंडे को लागू नहीं होने देगी।"

सुप्रीम कोर्ट ने जेट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अरब अमीरात स्थित उद्यमी मुरारी लाल जालान के एक संघ को हस्तान्तरित करने की मंजूरी दी थी। इसके अलावा चीफ जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया है कि लिक्विडेटर की नियुक्ति के लिए कदम उठाए जाएं।

सर्वोच्च न्यायालय ने उन अपीलों, जिनमें से एक अपील ऋणदाताओं की भी थी, पर अपना निर्णय सुना दिया, जो "नैशनल कम्पनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल" के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें जे.के.सी. द्वारा जैट एयरवेज़ के अधिग्रहण का अनुमोदन कर दिया गया था।

इसके आलवा, मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बैंच ने नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) मुम्बई को निर्देश दिये कि वह लिक्विडेटर की नियुक्ति की दिशा में कदम उठायें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में ऋणदाताओं ने दलील दी है कि कंसोर्शियम एयरलाइन के अधिग्रहण की शर्तें पूरा करने में असफल रहा है तथा वह अब यरलाइन को फिर से शुरू करने की स्थिति में नहीं है।

न्यायमूर्ति पादरीवाला ने कहा कि इस एयरलाइन को घेरने वाला यह मुकदमा "आँखे खोल देने वाला" है तथा इसमें भारत के "इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंक्रप्सी कोड (आई.बी.सी.) के लिये बहुत से सबक निहित हैं।

शीर्ष अदालत को यह निर्णय लेना था कि वह जैट एयरवेज़ के अधिग्रहण का अनुमोदन करें तथा इसे भारत में किसी एयरलाइन के बैंक्रप्सी रिसॉल्यूशन की अब तक की पहली सफल पूर्णता मान ले या फिर एयरलाइन को लिक्विडेट करें, जैसी कि ऋणदाताओं ने प्रार्थना की है।

सी.एम. का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रकरण में न्यायालय को आवश्यकता होने पर वे उपस्थित होते रहेंगे। आरोपी की ओर से अनुपस्थिति की परिस्थिति में हाजिरी माफी पेश की जा सकती है। वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि वे अदालत में हाजिर होने में असमर्थ हों। अदालत की ओर से तलब करने पर ही उन्हें उपस्थित होना है और जरूरत पड़ने पर उनके अधिवक्ता हाजिरी माफी पेश कर सकते हैं। ऐसे में उनकी ओर से पेश स्थाई हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र में भजनलाल शर्मा की ओर से कहा गया कि मामले में वर्ष 2013 में पेश आरोप पत्र में उनके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 353 सपठित धारा 34 का ही आरोप है। मामला करीब 11 साल से लंबित है। प्रार्थी वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर है और उसे अक्सर राजकार्य के चलते जयपुर से बाहर और विदेश भी जाना होता है। ऐसे में उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्थाई हाजिरी माफी प्रदान की जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

सलमान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिया। एडवोकेट उद्यम मुखर्जी और स्वपिनल पटनायक ने याचिकाकर्ता की तरफ से तथा वरिष्ठ स्टैंडिंग काउंसल अनुराग ओझा ने एडवोकेट शुभम कुमार केन्द्र सरकार के स्टैंडिंग काउन्सल रवि प्रकाश और एडवोकेट ताहा यासीन एवं यशार्थ के साथ मिलकर सरकार का पक्ष रखा।

'फड़नवीस को सोच समझ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चाहिए कि इसमें भारत के सबसे प्रतिष्ठित कानूनविदों में से एक के.के. वेणुगोपाल द्वारा लिखी गई प्रस्तावना है। के.के. वेणुगोपाल 2017-2022 के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल थे। इससे पहले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और स्वघोषित चाणक्य को भी यह लाल किताब दी गई थी।

उन्होंने कहा, जहां तक शहरी नक्सल का सवाल है केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 9 फरवरी 2022 और 11 मार्च 2020 को संसद में बताया था कि भारत सरकार इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है। गृह मंत्रालय के मुखिया कोई और नहीं अमित शाह हैं। फड़नवीस का सोच समझ कर बोलना चाहिए।

पहली अमृत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस ट्रेन में 18 से 22 कोच होंगे। ये सभी कोच गैर-वातानुकूलित तथा जनरल क्लास के होंगे। इस ट्रेन की अधिकतम गति 130 किमी. प्रति घंटा होगी तथा इसमें सी. सी. टी. वी. कैमरा तथा "टॉक बैक" जैसी उन्नत टैक्नॉलॉजी होंगी। "टॉक बैक" तकनीक के फलस्वरूप, यात्री लोको पायलट तथा ट्रेन मैनेजर से सीधे बात कर सकेंगे। प्रत्येक कोच में वैक्यूम बायो टॉयलेट तथा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

राहुल गाँधी के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा कि भाजपा अपने गढ़ के पास नागपुर में राहुल के कार्यक्रम से घबरा गई है। घबराहट में फड़नवीस राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए गलत आरोप लगा रहे हैं। हिंदू धर्म में लाल रंग को शुभ माना जाता है, पिर भी भाजपा को यह अपवित्र लगता है। जो लोग संविधान का विरोध करते हैं उन्हें यह निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है कि, संविधान की प्रति लाल होनी चाहिए या पीली या काली। क्या भाजपा और फड़नवीस, संविधान की रक्षा की तुलना शहरी नकसलवाद में करते हैं।"

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908